



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1941 (श10)
(सं0 पटना 612) पटना, बुधवार, 15 मई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

15 मई 2019

एस० ओ० 216 दिनांक 15 मई 2019—वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 3/2019—राज्य कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-509, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में -

(क) खण्ड (ii) की तालिका में, स्तम्भ 5 के परन्तुक में -

"इनपुट सेवाओं के मूल्य पर कर" शब्द समूह के स्थान पर "इनपुट सेवाओं के मूल्य पर राज्य कर" तथा शब्द "अठारह" के स्थान पर "नौ" पढ़ें ; और

(ख) दृष्टांत 3 में, "18" के स्थान पर "18(9+9)" पढ़ें

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1475)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 मई 2019

एस० ओ० 216 दिनांक 15 मई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-5) 1475)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th May 2019

S.O. 216 Dated 15th May 2019.— In the Commercial Taxes Department notification No.03/2019- State Tax (Rate), dated the 29thMarch, 2019, published in the Bihar Gazette vide number 509, dated the 29thMarch, 2019,-

- (a) in the seventh proviso of column 5, in the table of clause (ii) -
for “80 percent, tax” read “80 percent, State tax”; and for “eighteen” read
“nine”.
- (b) in Illustration 3, for “18” read “18(9 + 9)”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part5)1475)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 612-571+10 डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>